राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक : प.7(5)प्राशि / आयो / 2017 जयपुर, दिनांक 27 / 11 / 2017

:: आदेश ::

B.Ed./D.El.Ed. के राजकीय एंव निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह एवं द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम अनिवार्य रूप से राजकीय विद्यालयों में ही किया जाना निश्चित किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल पीटिशन संख्या 16574 / 2017,16577,16579 / 2017 में पारित अन्तरिम निर्णय दिनांक 5.10.2017 की पालना के क्रम में B.Ed./D.El.Ed के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन करने हेतु सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा प्रथम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालय का आवंटन करने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते है :–

1. बी.एड / डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु निर्धारित प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की कुल 20 सप्ताह के इंटर्नशिप कार्यक्रम में से प्रथम वर्ष के 04 सप्ताह का समय (20प्रतिशत समय) निजी विद्यालयों में ऐच्छिक प्रावधान कराये जाने का निर्णय लिया गया है जो निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बी.एड. / डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों को प्रथम वर्ष के 04 सप्ताह का समय (20 प्रतिशत समय) निजी विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम कराना चाहते है वें 10 निजी विद्यालयों से सहमति पत्र प्राप्त कर शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाएंगे। इस हेतु तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. रमसा द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर पृथक से मोड्यूल तैयार करवाया जावें।
2. बी.एड. / डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों को आगामी चरणों में प्रशिक्षणार्थियों से उनके इच्छित ब्लॉक के राजकीय विद्यालयों की च्वाईस मांगी जाकर वरीयता क्रम में " पहले आओं पहले पाओं के सिद्धान्त पर" विद्यालय आवंटन मोड्यूल के माध्यम से इंटर्नशिप हेतु राजकीय विद्यालय का आवंटन किया जावें।

(ज्योति चौहान)
शासन उप सचिव

कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / प्रारं / पंविप / इटर्नशिप / 2017 दिनांक:28.11.17

निम्नांकित को प्रतिलिपि भेज कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसान समस्त राजकीय एंव निजी विद्यालय में इंटर्नशित कार्यवाही सम्पन्न करवाना सुनिशचित करें।

1. समस्त उपनिदेशक माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा
2. तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. रमसा जयपुर
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा
4. समस्त जिला शिक्षा एवम प्रशिक्षण संस्थान

पंजीयक

www.rajteachers.com